

राजस्थान —सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:—ई-11/नर्स-2/सेवानिवृति 12-19/ 19/ दिनांक:-

आदेश

श्री कैलाश चन्द शर्मा , नर्स श्रेणी द्वितीय, रावाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर जिनकी जन्म तिथि 15.08.1959 है, को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर दिनांक 31.08.2019 को मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्गिक के विरुद्ध आज दिनांक तक—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लंबित नहीं है।




(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—ई-11/नर्स-2/सेवानिवृति 12-19/ 19/ 674

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 निदेशक,पेशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग,राज जयपुर।
- 2 रांयुक्त निदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,जोन जयपुर।
- 3 अधीक्षक,रावाई मानसिंह चिकित्सालय,जयपुर को उनके पत्रांक 6658 दिनांक 26.06.2019 के क्रम मे।
- 4 श्री कैलाश चन्द शर्मा ,नर्स श्रेणी द्वितीय, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 5 डीपीसी सैल (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
- 6 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
- 7 आदेश पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।